

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

मांग संख्या 58

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	926.74	6.44	933.18	1460.00	8.02	1468.02	1200.00	7.72	1207.72	6000.00	8.62	6008.62	
पूँजी	
जोड़	926.74	6.44	933.18	1460.00	8.02	1468.02	1200.00	7.72	1207.72	6000.00	8.62	6008.62	
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	0.35	4.46	4.81	1.00	4.87	5.87	0.40	4.70	5.10	1.00	5.22	6.22
जलापूर्ति और स्वच्छता													
2. कम लागत वाले एकीकृत सफाई कार्यक्रम	2215	3.37	...	3.37
3601	19.22	...	19.22	125.00	...	125.00	22.00	...	22.00	
2.01 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	2552	0.50	...	0.50
3601	4.49	...	4.49
3602	0.01	...	0.01
जोड़	5.00	...	5.00
जोड़- कम लागत वाले एकीकृत सफाई कार्यक्रम	22.59	...	22.59	125.00	...	125.00	22.00	...	22.00	5.00	...	5.00	
आवास													
3. राष्ट्रीय भवन संगठन	2216	4.92	1.85	6.77	13.00	2.59	15.59	13.00	2.46	15.46	...	2.84	2.84
4. अन्य आवासीय योजनाएं	2216	5.00	0.13	5.13	5.00	0.56	5.56	5.00	0.56	5.56	5.00	0.56	5.56
5. निर्माण केन्द्र स्कीमें	2216	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01
6. शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु व्याज सब्सिडी स्कीमें (आईएसएसएचयू)	2216	5.01	...	5.01	25.00	...	25.00
7. राजीव ऋण योजना	2216	50.00	...	50.00	649.18	...	649.18
2552	49.80	...	49.80
जोड़	50.00	...	50.00	698.98	...	698.98	
8. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	2052	2.28	...	2.28	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
2552	86.00	...	86.00	65.00	...	65.00	
3475	669.35	...	669.35	796.50	...	796.50	652.09	...	652.09	
3601	119.10	...	119.10	35.00	...	35.00	29.74	...	29.74	

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3602	2.88	...	2.88	30.00	...	30.00	28.20	...	28.20	
जोड़	793.61	...	793.61	950.00	...	950.00	777.53	...	777.53	
9. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)													
9.01 एनएलएम के प्रशासनिक व्यय													
9.01.01 एनयूएलएम के स्थापना व्यय	3475	5.00	...	5.00	
9.01.02 क्षमता निर्माण एवं आईईसी कार्यक्रमलाप - एनयूएलएम	3475	18.00	...	18.00	
9.01.03 विशेष एवं नवीन परियोजनाएं एनयूएलएम	2552	2.70	...	2.70	
जोड़	3475	24.30	...	24.30	
जोड़	27.00	...	27.00	
9.01.04 विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	3475	3.00	...	3.00	
जोड़- एनएलएम के प्रशासनिक व्यय	53.00	...	53.00	
9.02 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	2552	95.00	...	95.00	
3601	820.00	...	820.00	
3602	35.00	...	35.00	
जोड़	950.00	...	950.00	
जोड़- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	1003.00	...	1003.00	
10. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	2217	9.19	...	9.19	15.00	...	15.00	7.62	...	7.62	10.00	...	10.00
10.01 जेएनएनयूआरएम - बीएसयूपी	2552	100.00	...	100.00	
3601	450.00	...	450.00	
3602	450.00	...	450.00	
जोड़	1000.00	...	1000.00	
10.02 जेएनएनयूआरएम - आईएचएसडीपी	2552	62.00	...	62.00	
3601	557.99	...	557.99	
3602	0.01	...	0.01	
जोड़	620.00	...	620.00	
जोड़- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)	9.19	9.19	15.00	...	15.00	7.62	...	7.62	1630.00	...	1630.00
11. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजीव आवास योजना के तहत प्रावधान एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)													
11.01 राजीव आवास योजना -	2217	10.00	...	10.00	

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों हेतु													
11.02 विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जेएनएनआरएम	2217	20.00	...	20.00	
जोड़- विधानमंडल रहित संघ क्षेत्रों के लिए राजीव आवास योजना के तहत प्रावधान एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)		30.00	...	30.00	
12. राजीव आवास योजना - क्षमता विकास/प्रारंभिक कार्य													
12.01 राजीव आवास योजना - क्षमता विकास/प्रारंभिक कार्य	2217	9.72	...	9.72	130.00	...	130.00	132.00	...	132.00	100.00	...	100.00
12.02 राजीव आवास योजना के तहत कम आय वाले आवासों हेतु क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (जीआरजीएफटी)	2217	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
जोड़- राजीव आवास योजना - क्षमता विकास/प्रारंभिक कार्य		59.72	...	59.72	230.00	...	230.00	232.00	...	232.00	150.00	...	150.00
13. राजीव आवास योजना	2552	240.00	...	240.00
	3601	2115.00	...	2115.00
	3602	45.00	...	45.00
जोड़		2400.00	...	2400.00
जोड़-आवास		877.45	1.98	879.43	1238.10	3.15	1241.25	1085.25	3.02	1088.27	5916.99	3.40	5920.39
14. शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण-विश्व बैंक सहायता (आईडीए ऋण) ईएपी	2217	1.09	...	1.09	15.00	...	15.00	5.75	...	5.75	7.00	...	7.00
15. अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) से तकनीकी सहायता (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना)	2217	1.70	...	1.70	19.79	...	19.79	4.49	...	4.49	20.00	...	20.00
	3601	2.76	...	2.76	1.08	...	1.08	1.08	...	1.08
जोड़		4.46	...	4.46	20.87	...	20.87	5.57	...	5.57	20.00	...	20.00
16. समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास	2217	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17. फेरी वालों की सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना	3475	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
आवास													
18. शहरी बेघरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	2216	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में एकमुश्त व्यवस्था	2552	60.00	...	60.00	81.00	...	81.00	50.00	...	50.00
20. उत्तरपूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम से संबंधित व्यय	3601	24.16	...	24.16

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
21. वास्तविक वसूलियां	2216	-0.18	...	-0.18	
	2217	-3.18	...	-3.18	
	जोड़	-3.36	...	-3.36	
कुल जोड़		926.74	6.44	933.18	1460.00	8.02	1468.02	1200.00	7.72	1207.72	6000.00	8.62	6008.62
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. आवास और शहरी विकास निगम	22216	...	5528.85	5528.85	...	13369.14	13369.14	...	7404.75	7404.75	...	14260.28	14260.28
जोड़		...	5528.85	5528.85	...	13369.14	13369.14	...	7404.75	7404.75	...	14260.28	14260.28
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	32052	0.35	...	0.35	1.00	...	1.00	0.40	...	0.40	1.00	...	1.00
2. जलापूर्ति एवं स्वच्छता	22215	22.59	...	22.59	125.00	...	125.00	22.00	...	22.00
3. आवास	22216	38.91	5528.85	5567.76	43.11	13369.14	13412.25	68.11	7404.75	7472.86	734.49	14260.28	14994.77
4. शहरी विकास	22217	864.89	...	864.89	1144.89	...	1144.89	963.49	...	963.49	187.01	...	187.01
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	146.00	...	146.00	146.00	...	146.00	102.50	...	102.50
जोड़ - केन्द्रीय योजना		926.74	5528.85	6455.59	1460.00	13369.14	14829.14	1200.00	7404.75	8604.75	1025.00	14260.28	15285.28
राज्य योजना:													
1. शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं हेतु उपमिशन (एसएम-बीएसयूपी)	43601	450.00	...	450.00
2. समन्वित आवास एवं स्लम विकास (आईएचएसडीपी)	43601	557.99	...	557.99
3. राजीव आवास योजना (आरएवाई)	43601	2160.00	...	2160.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	43601	497.50	...	497.50
5. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	43601	855.00	...	855.00
6. आईएलसीएस	43601	4.49	...	4.49
जोड़ - राज्य योजना		4524.98	...	4524.98
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास	43602	0.01	...	0.01
2. बीएसयूपी	43602	450.00	...	450.00

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
3. आईएचएसडीपी	43602	0.01	...	0.01
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		450.02	...	450.02
जोड़		926.74	5528.85	6455.59	1460.00	13369.14	14829.14	1200.00	7404.75	8604.75	6000.00	14260.28	20260.28

- यह प्रावधान आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए है।
- भारत सरकार शुष्क शौचालयों का रूपांतरण और नए शौचालयों के निर्माण के लिए कम लागत सफाई कार्यक्रम नामक केंद्र प्रायोजित योजना के जरिए सफाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।
- यह प्रावधान राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए है जो आवास के संबंध में कारगर प्रबन्धन सूचना प्रणाली और आंकड़ा बैंक इत्यादि की स्थापना के कार्य में संलग्न है।
- इस प्रावधान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास कल्याण संगठन को अंशदान, भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद को सहायता, मानव बसावटों संबंधी संयुक्त राष्ट्र केंद्र को अंशदान तथा कामनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम को वार्षिक सदस्यता शुल्क से संबंधित योगदान शामिल है।
- यह प्रावधान विभिन्न शहरों में भवन केन्द्रों की स्थापना के लिए है।
- यह स्कीम आश्रय स्थल अधिगृहीत करने हेतु शहरी गरीबों को ऋण आदि पर व्याज सब्सिडी मुहैया कराने हेतु है।
- इसमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की स्कीम के लिए प्रावधान है, जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगार या अल्प-बेरोजगार गरीब लोगों के लिए लाभदायक रोजगार प्रदान करना और उनका कौशल विकास करना है।
- ये प्रावधान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण के लिए बीएसयूपी और आईएचएसडीपी हेतु हैं।
- ये प्रावधान बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आरएवाई, बीएसयूपी और आईएचएसडीपी हेतु हैं।
- राजीव आवास योजना (आरएवाई) - क्षमता निर्माण/प्रारंभिक कार्यकलाप के अंतर्गत प्रावधान स्लम सर्वेक्षण का आयोजन, स्लम प्रबंधन सूचना प्रणाली, स्लम भू सूचना प्रणाली, जीआईएस समर्थकारी स्लम सूचना प्रणाली, स्लम मुक्त शहर योजनाओं की तैयारी और विभिन्न स्तरों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्षमता को मजबूत बनाने आदि जैसी प्रारंभिक गतिविधियां करने हेतु किया गया है।

- 12.2. क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटी) के तहत अनुसूचित/कोआपरेटिव बैंको द्वारा संपर्शिवक अथवा तृपक्षीय गारंटी के बिना ऐसे आवासीय ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करने का प्रावधान है।
13. ये प्रावधान उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण हेतु राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत किया गया है।
14. यह प्रावधान शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण - विश्व बैंक सहायता (आईडीए ऋण) संबंधी स्कीम के लिए है।
15. यह प्रावधान शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम संबंधी राष्ट्रीय नीतियों को सहायता प्रदान करने के लिए अंतर-राष्ट्रीय विकास विभाग से विदेशी सहायता प्राप्त तकनीकी सहायता के लिए है।
16. यह प्रावधान समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास के लिए है।
19. यह प्रावधान उत्तर - पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं / योजनाओं के लिए है।